SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

प्रेस की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा

श्रीमति शालिनी सिंह गौर
विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता नागरिकों के सूचना के अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति तथा शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक स्वतंत्र प्रेस सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखना है। अनेक परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच हितों का टकराव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक, विधिक तथा व्यावहारिक पहलुओं का समग्र अध्ययन करना है। इस शोध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंधों का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न न्यायिक निर्णयों, विधिक प्रावधानों तथा समकालीन परिस्थितियों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द

प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान, अनुच्छेद 19(1)(क), अनुच्छेद 19(2), लोकतंत्र, न्यायिक दृष्टिकोण।

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को शासन और जनता के मध्य संवाद स्थापित करने वाला एक सशक्त माध्यम माना जाता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस नागरिकों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से अवगत कराता है, जनमत का निर्माण करता है तथा शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता का भी समावेश माना गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आधार है।

इसके विपरीत, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्र के अस्तित्व, संप्रभुता, अखंडता तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी सूचनाओं के अनियंत्रित प्रसार को रोके जो देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास, डिजिटल पत्रकारिता तथा सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। एक ओर जनता का सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रहित और सुरक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाओं की रक्षा करना भी आवश्यक है। इसलिए इन दोनों संवैधानिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य विद्यमान संवैधानिक, विधिक एवं व्यावहारिक पहलुओं का समग्र अध्ययन करना है। साथ ही, इस शोध में प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक दृष्टांतों तथा विधिक सिद्धांतों के आधार पर यह विश्लेषण किया जाएगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को किस प्रकार प्रभावी रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है।

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध में मुख्यतः सैद्धांतिक एवं गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक, विधिक तथा न्यायिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करना है। शोध के दौरान प्राथमिक स्रोतों, जैसे भारतीय संविधान, प्रासंगिक विधिक प्रावधानों तथा न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक स्रोतों के रूप में विधि संबंधी पुस्तकों, शोध-पत्रों, विधिक पत्रिकाओं, सरकारी प्रकाशनों तथा अन्य विश्वसनीय शैक्षणिक सामग्री का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में उपलब्ध साहित्य और विधिक स्रोतों का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए वर्तमान संवैधानिक एवं विधिक व्यवस्था किस सीमा तक प्रभावी है। साथ ही, शोध में इस विषय से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णयों और विधिक सिद्धांतों का समालोचनात्मक अध्ययन करते हुए उनके व्यावहारिक प्रभावों का भी मूल्यांकन किया गया है।

उद्देश्य

1. प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक, विधिक एवं लोकतांत्रिक महत्ता का समग्र अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा, उसके उद्देश्य तथा भारतीय विधिक व्यवस्था में उसके महत्व का विश्लेषण करना।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण करना।
4. प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य उत्पन्न होने वाले संवैधानिक, विधिक एवं व्यावहारिक विवादों का अध्ययन करना।

5. इस विषय से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णयों एवं विधिक सिद्धांतों का विश्लेषण कर उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।
6. वर्तमान सूचना एवं संचार माध्यमों, विशेष रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया की भूमिका का राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में परीक्षण करना।
7. लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रेस की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु व्यावहारिक एवं विधिक सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा

प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक विद्वानों ने विस्तृत अध्ययन किया है। भारतीय संवैधानिक विधि के विद्वान एम. पी. जैन ने अपनी पुस्तक Indian Constitutional Law में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता इसी मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। उनके अनुसार यदि प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा, तो शासन की पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

वी. एन. शुक्ला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Constitution of India में अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 19(2) का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः निरपेक्ष अधिकार नहीं है। राज्य केवल उन्हीं परिस्थितियों में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, जहाँ संविधान द्वारा निर्धारित आधार मौजूद हों और प्रतिबंध युक्तिसंगत हो। एच. एम. सीरवै (H. M. Seervai) ने भी अपने संवैधानिक अध्ययन में यह मत व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक अंकुश लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उनके अनुसार न्यायपालिका का दायित्व है कि वह प्रत्येक मामले में प्रतिबंध की आवश्यकता एवं आनुपातिकता की समीक्षा करे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर John Stuart Mill ने अपनी पुस्तक On Liberty में विचारों की स्वतंत्रता को समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य माना है। उनका मत था कि विचारों का दमन अंततः लोकतंत्र और ज्ञान दोनों को हानि पहुँचाता है।

वर्तमान समय में डिजिटल पत्रकारिता, सोशल मीडिया तथा साइबर सुरक्षा के कारण प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विभिन्न शोध-पत्रों एवं विधिक लेखों में इस बात पर बल दिया गया है कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए स्पष्ट कानूनी मानक एवं प्रभावी न्यायिक निगरानी आवश्यक है

"प्रेस की स्वतंत्रताशब्द का अर्थ "

प्रेस की स्वतंत्रता एक मूलभूत सिद्धांत है जो पत्रकारों और मीडिया संगठनों को सेंसरशिप या सरकारी हस्तक्षेप के बिना काम करने की अनुमति देता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक मुख्य घटक है और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है।

प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल हैं:

सेंसरशिप से मुक्ति : पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को सरकार द्वारा लगाई गई सेंसरशिप के बिना समाचार और सूचना प्रकाशित या प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए।

सूचना तक पहुंच एक स्वतंत्र प्रेस को सार्वजनिक हित के मामलों की जांच और रिपोर्टिंग करने के लिए सूचना और स्रोतों तक पहुंच होनी चाहिए।

स्वतंत्रता: संपादकीय स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि समाचार रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हो और बाहरी हितों से प्रभावित न हो।

सूत्रों का संरक्षण: पत्रकारों को अपने सूत्रों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए ताकि व्हिसलब्लोअर और सूचना देने वाले बिना किसी डर के या प्रतिशोध के डर के बिना जानकारी के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित हों।

बहुलतावाद और विविधता: एक स्वतंत्र प्रेस में विविध दृष्टिकोणों और विचारों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे समाज में खुली बहस और चर्चा की अनुमति मिल सके।

जवाबदेही: मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों और निर्णयों की जांच और रिपोर्टिंग करके उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए।

प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित विधिक प्रावधान

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तथापि इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न भाग माना गया है। भारतीय न्यायपालिका ने अपने अनेक निर्णयों के माध्यम से यह स्थापित किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में प्रमुख विधिक प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. अनुच्छेद 19(1)(क): यह प्रावधान प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा सूचना के आदान-प्रदान का अधिकार प्रदान करता है। न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार समाचारों के संकलन, प्रकाशन और प्रसारण की स्वतंत्रता भी इसी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत संरक्षित मानी जाती है।

2. अनुच्छेद 19(2): यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, फिर भी यह पूर्णतः असीमित नहीं है। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, शिष्टाचार या सदाचार तथा अपराध के लिए उकसाने जैसे आधारों पर विधि द्वारा युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

3. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978: इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना तथा पत्रकारिता में उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और नैतिक मानकों को बनाए रखना है। इसके अंतर्गत गठित प्रेस परिषद प्रेस की गरिमा और पत्रकारिता के मानकों के संरक्षण का कार्य करती है।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। यह व्यवस्था पत्रकारों एवं मीडिया संस्थानों के लिए शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: एवं संबंधित नियम: डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन मीडिया के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर प्रकाशित सामग्री, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तथा मध्यस्थों की जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक कानूनी ढाँचा उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल मंचों के उत्तरदायी उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करना है। उपरोक्त संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेस अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से निभा सके, साथ ही उसका संचालन संविधान, विधि और राष्ट्रहित के अनुरूप उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से हो।

प्रेस की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल समाचारों का प्रसार करना नहीं, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता स्थापित करना, जनमत का निर्माण करना तथा सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता। फिर भी, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अत्यंत संवेदनशील या गोपनीय जानकारी का असावधानीपूर्वक प्रकाशन देश के हितों को प्रभावित कर दे। उदाहरणस्वरूप, रक्षा तैयारियों, सैन्य अभियानों, खुफिया सूचनाओं अथवा आतंकवाद-रोधी रणनीतियों से जुड़ी जानकारी का समय से पूर्व सार्वजनिक होना राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इसी कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कुछ आधारों पर विधिसम्मत एवं युक्तिसंगत प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वास्तविक चुनौती प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उसका गैर-जिम्मेदाराना अथवा असावधान उपयोग है। यदि मीडिया संवैधानिक दायित्वों, पेशेवर नैतिकता तथा विधिक मानकों का पालन करते हुए कार्य करे और राज्य भी केवल आवश्यक एवं न्यायोचित परिस्थितियों में ही प्रतिबंध लगाए, तो प्रेस की

स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित किया जा सकता है। स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रक्षा और पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों, जिनमें छापे, ज़ब्ती और गिरफ्तारियां शामिल हैं, ने भारत में डिजिटल डेटा और प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

डिजिटल क्रांति के दौर में भारत को डिजिटल अधिनायकवाद के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस नाजुक मोड़ पर भारत को देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राजनीतिक कार्रवाई और न्यायिक दृढ़ संकल्प दोनों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में प्रेस की भूमिका

लोकतांत्रिक समाज में प्रेस का दायित्व केवल सूचना का प्रसार करना नहीं, बल्कि जनहित और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। पत्रकारिता का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, किंतु ऐसी सूचनाओं के प्रकाशन से बचना भी आवश्यक है जिनसे सैन्य अभियानों, खुफिया एजेंसियों की कार्यवाही या देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो। इसलिए उत्तरदायी पत्रकारिता राष्ट्रीय सुरक्षा की सहयोगी मानी जाती है।

प्रमुख न्यायिक निर्णयों का समालोचनात्मक अध्ययन

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर दिए गए अपने निर्णयों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। इन निर्णयों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तथा राज्य की शक्तियों को स्पष्ट किया है।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक शासन की मूलभूत आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि प्रेस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध

केवल उन्हीं परिस्थितियों में वैध होंगे जिनका आधार संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

बृज भूषण एवं अन्य बनाम दिल्ली

इस मामले में न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सामान्य परिस्थितियों में किसी समाचार या विचार के प्रकाशन से पूर्व सरकारी सेंसरशिप लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। इसलिए पूर्व-सेंसरशिप को अत्यंत सीमित परिस्थितियों तक ही स्वीकार किया जा सकता है।

बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ 1973

इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल मीडिया संस्थानों का अधिकार नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार से भी गहराई से जुड़ी हुई है। सरकार की ऐसी नीतियाँ, जो प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को अनावश्यक रूप से प्रभावित करें, संवैधानिक समीक्षा के अधीन होंगी।

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ

न्यायालय ने इस निर्णय में कहा कि स्वतंत्र प्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है। यदि सरकार आर्थिक या प्रशासनिक उपायों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को अप्रत्यक्ष रूप से सीमित करती है, तो ऐसे उपायों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने, शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता,

शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना है। इसलिए इन दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखना लोकतांत्रिक शासन की एक आवश्यक शर्त है।

शोध के विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता पूर्णतः असीमित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्य संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक और विधिसम्मत सीमाएँ निर्धारित की जा सकती हैं। हालांकि, ऐसे प्रतिबंध न्यायसंगत, अनुपातिक तथा विधि के अनुरूप होने चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के सूचना के अधिकार पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े।

वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया और तीव्र सूचना प्रसार के कारण प्रेस की भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारिता के नैतिक मानकों का पालन, संवेदनशील सूचनाओं का जिम्मेदारीपूर्वक प्रकाशन तथा न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा परस्पर विरोधी अवधारणाएँ नहीं हैं, बल्कि दोनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। स्पष्ट विधिक प्रावधान, उत्तरदायी पत्रकारिता तथा प्रभावी न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रहित दोनों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सुझाव

1. प्रेस की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों में संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट, न्यायसंगत एवं पारदर्शी नीतिगत और विधिक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध केवल असाधारण परिस्थितियों में, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा आवश्यकता और अनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करते हुए ही लगाए जाने चाहिए।

3. मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को तथ्यपरक, निष्पक्ष तथा उत्तरदायी पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, विशेषकर ऐसी सूचनाओं के प्रकाशन में जो देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हों।
4. सरकार, मीडिया, न्यायपालिका तथा नागरिक समाज के बीच प्रभावी समन्वय और संवाद की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
5. डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फर्जी समाचार, भ्रामक सूचना तथा दुष्प्रचार पर नियंत्रण के लिए प्रभावी विधिक, तकनीकी एवं संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
6. पत्रकारों एवं मीडिया पेशेवरों के लिए मीडिया नैतिकता, संवैधानिक दायित्वों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
7. न्यायपालिका को ऐसे मामलों में संविधान के मूल सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रहित दोनों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ सूची

1. जैन,एम. पी. भारतीय संवैधानिक विधि, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, नवीनतम संस्करण।
2. शुक्ला, वी. एन. भारतीय संविधान का परिचय, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, नवीनतम संस्करण।
3. भारत का संविधान, 1950। भारत का संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(क) तथा अनुच्छेद 19(2), जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उस पर लगाए जाने वाले युक्तिसंगत प्रतिबंधों का उल्लेख है।
4. सीरवई, एच. एम. Constitutional Law of India. मुंबई: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नवीनतम संस्करण

5. नारायण, सुनील. मीडिया और लोकतंत्र. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स
6. भारत का विधि आयोग. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदन।
7. भारत का विधि आयोग (Law Commission of India) की प्रासंगिक रिपोर्टें।
8. प्रेस परिषद् भारत (Press Council of India) की वार्षिक रिपोर्ट।
9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की वार्षिक रिपोर्ट।
10. ऑनलाइन स्रोत
11. भारत का संविधान - भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल।
12. भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) की आधिकारिक वेबसाइट।
13. भारत का विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)।